

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/98/2020

राकेश कुमार पुत्र तोताराम जाति जाटव निवासी ग्राम बगधारी तहसील व जिला भरतपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 22.12.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त राकेश कुमार पुत्र तोताराम जाति जाटव निवासी ग्राम बगधारी तहसील व जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.2020 उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/807 दिनांक 09.12.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/3177 दिनांक 14.12.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक 3177 दिनांक 14.12.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र क्रमांक 2186 दिनांक 28.10.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पों. ने अपीलान्त को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर को भी भेजी जावे।



(नथमल डिडेल)

जिला कलक्टर

भरतपुर

